



# पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरमाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक: 1869/अ.मंडल/अका./2021

रायपुर, दिनांक : 30.03.2021

## // अधिसूचना //


विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के विधि संकाय के अंतर्गत विधि अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है :-

- |              |  |
|--------------|--|
| 28 (2) (i)   | 1. निरंक   |
| 28 (2) (ii)  | 1. डॉ.(श्रीमती) विनीता अग्रवाल, शास. जे.योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर<br>2. निरंक   |
| 28 (2) (iii) | 1. निरंक   |
| 28 (2) (iv)  | 1. डॉ. (श्रीमती) प्रीति सतपथी, कुसुमताई दाबके विधि महाविद्यालय, रायपुर<br>2. श्री सुरेश मनी जियानी, शास. नवीन विधि महाविद्यालय, भाटापारा |
| 28 (2) (v)   | 1. डॉ. प्रिया राव, विधि अध्ययनशाला, पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर<br>2. डॉ. वेणुधर रौतिया विधि, पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर        |

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 (3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. विनीता अग्रवाल को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी तीन वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार


  
30.3.21

कुलसचिव

पृ. क्रमांक: 1870/अ.मंडल/अका./2021

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर ब्लाक-सी 30, द्वितीय तल इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
2. संबंधित सदस्यों को
3. संबंधित संकायाध्यक्षों को
4. स.कु.स.परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय
5. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
30.3.21  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)